

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-5/खेल प्रकोष्ठ) विभाग

क्रमांक : 15(5)/का/क-5/खेल विंग/2023 जयपुर, दिनांक:-

--:आदेश:-

राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय स्तर की खेल-कूद प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले राजकीय कर्मचारी/अधिकारियों को खेलों के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने की दृष्टि से राजकीय कर्मचारी/अधिकारियों (खिलाडी एवं मैनेजर सहित) द्वारा इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन (IOA) से मान्यता/संबद्धता प्राप्त खेलों की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं (व्यक्तिगत और टीम स्पर्धाओं और टूर्नामेंटों, अखिल भारतीय सिविल सेवा स्पर्धाओं और पैरा खेलों सहित) में पदक (प्रथम, द्वितीय, तृतीय) प्राप्त करने पर निम्नलिखित नियमों और शर्तों के अधीन व्यक्तिगत वेतन के रूप में Special Allowance/ Increment दिया जावेगा:-

1. राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के खेल आयोजनों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राजकीय कर्मचारी/अधिकारियों को व्यक्तिगत वेतन के रूप में दी गई विशेष वेतन वृद्धि नीचे उल्लेखित दर पर देय होगी:-

S.no.	Grade pay(Rs.) / Pay level	Rate Personel Pay (special increment) w.e.f. 01.04.2023
1.	1700/L-1	480
2.	1750/L-2	480
3.	1900/L-3	480
4.	2000/L-4	480
5.	2400/L-5	480
6.	2400/L-6	480
7.	2400/L-7	480
8.	2800/L-8	570
9.	2800/L-9	570
10.	3600/L-10	570
11.	4200/L-11	900
12.	4800/L-12	1130
13.	5400/L-13	1240
14.	5400/L-14	1240
15.	6000/L-15	1240
16.	6600/L-16	1470
17.	6800/L-17	1470
18.	7200/L-18	1470
19.	7600/L-19	1690
20.	8200/L-20	1690
21.	8700/L-21	1800
22.	8900/L-22	2030
23.	9500/L-23	2030
24.	10000/L-24	2250

2. व्यक्तिगत वेतन के रूप में दी गई विशेष वेतन वृद्धि सेवानिवृत्ति तक उसी दर पर जारी रहेगी, लेकिन इसे पदोन्नति पर वेतन निर्धारण, सेवानिवृत्ति लाभ या HRA/DA/CCA आदि जैसे किसी अन्य भत्ते आदि के लिए नहीं गिना जाएगा।
3. पात्र राजकीय कर्मचारी/अधिकारियों को समग्र खेल प्रतियोगिता के पूर्ण सम्पन्न होने की तारीख से छह महीने के भीतर लाभ को देना करना होगा।

Digitally signed by M. Bihari Jangid
Designation : Joint Secretary To
Government
Date: 2023.09.23 15:34:34 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4805883



4. राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं/टूर्नामेंटों में उत्कृष्टता (पदक) हासिल करने पर व्यक्तिगत वेतन के रूप में एक विशेष वृद्धि और अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं/टूर्नामेंटों में उत्कृष्टता हासिल पर व्यक्तिगत वेतन के रूप में दो विशेष वृद्धि की अनुमति दी जावेगी।
5. किसी व्यक्ति को दिए जाने वाले व्यक्तिगत वेतन के रूप में विशेष वेतन वृद्धि की कुल संख्या उसके पूरे सेवा काल में पांच से अधिक नहीं होगी।
6. व्यक्तिगत वेतन के रूप में विशेष वेतन वृद्धि उस महीने के अगले महीने की पहली तारीख से दी जाएगी, जिसमें खेल प्रतियोगिता/टूर्नामेंट सम्पन्न होंगे।
7. एक बार अनुमति मिलने के बाद व्यक्तिगत वेतन की मौजूदा दरें उन मामलों में अपरिवर्तित रहेंगी जहां पदधारी के वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर बाद में किसी भी कारण से बदल जाता है।

यह आदेश वित्त (नियम) विभाग की आई.डी. संख्या 10230125 दिनांक 26.05.2023 के अनुसरण में जारी किये जाते हैं।

(डॉ. मुकुट बिहारी जांगिड)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, समस्त मंत्री/राज्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
4. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/सम्भागीय आयुक्त/विशिष्ट शासन सचिव/समस्त विभागाध्यक्ष (जिला कलक्टर सहित)।
6. अतिरिक्त निदेशक, कम्प्यूटर सेल, कार्मिक विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by M. Bihari Jangid
Designation : Joint Secretary To
Government
Date: 2023.09.23 15:34:34 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4805883

